



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10092021-229537
CG-DL-E-10092021-229537

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3368]
No. 3368]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 10, 2021/भाद्र 19, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 10, 2021/BHADRA 19, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2021

आय-कर

का.आ. 3680(अ).—केंद्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 194थ की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह विनिर्दिष्ट करती है कि एयर इंडिया ऐसेट होल्डिंग लिमिटेड (पैन : AAQCA4703M) को केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित योजना के अधीन एयर इंडिया लिमिटेड (पैन : AACCN6194P) द्वारा माल के अंतरण के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 194थ की उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए 'क्रेता' के रूप में नहीं समझा जाएगा।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2021 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[अधिसूचना सं. 107/2021/फा. सं. 370149/158/2021-टीपीएल]

अंकित जैन, अवर सचिव (कर नीति और विधायन)

स्पष्टीकारक ज्ञापन : यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी रूप देने से किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th September, 2021

INCOME-TAX

S.O. 3680(E).—In exercise of the powers conferred by Explanation to sub-section (1) of section 194Q of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) , the Central Government hereby specifies that Air India Assets Holding Limited (PAN: AAQCA4703M) shall not be considered as ‘buyer’ for the purpose of sub-section (1) of section 194Q of the said Act in case of transfer of goods by Air India Limited (PAN: AACCN6194P) to it under a plan approved by the Central Government.

2. The notification shall be deemed to have come into force with effect from the 1st day of July, 2021.

[Notification No. 107 /2021/F. No. 370149/158/2021-TPL]

ANKIT JAIN, Under Secy. (Tax Policy and Legislation)

Explanatory Memorandum : It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.